अर्धशा0 परिपत्र संख्या- 05 /2017

जावीद अहमद
भा0पु0से0

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांकः मार्च 23, 2017

प्रिय महोदय,

अवगत है कि नई सरकार के गठन के बाद सरकार द्वारा अपनी प्राथमिकतायें स्पष्ट की गयी है। इनमें प्रमुख प्राथमिकता यह है कि प्रदेश के समस्त नागरिकों को न केवल सुरक्षा प्रदान की जाय, वरन् उनमें पुलिस और अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास भी उत्पन्न हो। प्रायः रात्रि के समय आपराधिक तत्वों की सक्रियता बढ़ जाती है और चोरी, लूट, डकैती एवं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनायें घटित होती हैं, जिनका जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रात्रि में पुलिस की सक्रियता बढ़ाकर जहाँ एक ओर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर जनमानस में सुरक्षा की भावना भी सुदृढ़ की जा सकती है।

2. रात्रि के समय पुलिस की सक्रियता बढ़ाने के लिए **रात्रि गश्त** को वास्तविक रूप से प्रभावी ढ़ंग से संचालित करके विभिन्न स्तरों के पुलिस अधिकारियों द्वारा उसकी आकस्मिक चैकिंग करने की आवश्यकता है। रात्रि गश्त में अनुपस्थित, शिथिल एवं लापरवाह पाये जाने वाले पुलिस कर्मियों को उनकी गलती का अहसास कराते हुए सचेत किया जाना चाहिए तथा इसकी पुनरावृत्ति होने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने संसाधनों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि रात्रि में प्रत्येक थाना क्षेत्र में अपराध बहुल क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में गश्तें लगायी जायें और वास्तविक रूप से इन गश्तों पर सम्बन्धित कर्मचारी पहुँचें। गश्त पर उनकी उपलब्धता एवं सक्रियता की जाँच हेतु वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर इसकी चैकिंग करें। संवेदनशील राजमार्गो पर गश्त हेतु पर्याप्त संख्या में **पेट्रोलिंग वाहन** लगाये जायें। इसके अतिरिक्त विभिन्न संवेदनशील बिन्दुओं पर **सुदृढ़ पुलिस पिकेट्स** लगायी जायें तथा महत्वपूर्ण स्थलों पर **सीसीटीवी कैमरों** का व्यवस्थापन भी कराया जाय।

4. इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि रात्रि गश्त हेतु थानों एवं चौकियों में प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ की रिक्तियों की पूर्ति की जाये और उन्हें नागरिकों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाय। थानों एवं चौकियों के मध्य वायरलेस सेट के माध्यम से बेहतर संचार व्यवस्था की जाय। जिन थानों में पर्याप्त वाहन रात्रि गश्त हेतु

उपलब्ध नहीं है, वहाँ जनपदीय पुलिस अधीक्षक रात्रि गश्त हेतु वाहन उपलब्ध करा दें। पुलिस लाइन में भी कुछ वाहन अतिरिक्त रूप से उपलब्ध रहते हैं। उनका प्रयोग भी रात्रि गश्त के लिए किया जाय। रात्रि गश्त हेतु आपराधिक दृष्टि से संवदेनशील स्थानों को चिन्हित किया जाय, विशेषकर ऐसा स्थान जहाँ **पुल, पुलिया, नहर, नाला, जंगल** आदि हों। कुछ स्थान/बिन्दु अपराध की दृष्टि से विशेष संवेदनशील होते हैं, उन्हें चिन्हित कर वहाँ विशेष चेंकिग की व्यवस्था की जाय और सामान्य स्थानों की तुलना में वहाँ अधिक पुलिस बल लगाया जाय। रात्रि गश्त हेतु जिन थानों/चौकियों में पर्याप्त जनशक्ति/संसाधन उपलब्ध नहीं है, उसकी पूर्ति अन्य थानों से की जाय।

5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि जनपद में रात्रि गश्त हेतु सप्ताह में प्रत्येक दिन क्षेत्राधिकारी की डियूटी लगायी जाय। सप्ताह में कम से कम दो बार क्षेत्राधिकारियों की अन्य क्षेत्राधिकारियों के क्षेत्र में गश्त चैकिंग की डियूटी लगायी जाय। स्वयं अपर पुलिस अधीक्षक इस गश्त चैकिंग का भ्रमणशील रहकर पर्यवेक्षण करें तथा किसी न किसी बिन्दु पर स्वयं भी उपस्थित रहकर अधीनस्थ कर्मियों का मार्गदर्शन करें। स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सप्ताह में कम से कम 03 दिन स्वयं रात्रि गश्त करें। इससे अन्य अधिकारियों/कर्मियों में अपने कर्तव्य के प्रति और अधिक जागरूकता उत्पन्न होगी और जनमानस में भी सुरक्षा की भावना बलवती होगी।

6. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी उपरोक्त निर्देशों का पालन कर्तव्यभावना से करते हुए जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में अपनी महती भूमिका का सफल निवर्हन करेंगे।

भवदीय,

23.3.17.

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

<u>जनपद प्रभारी, उत्तर प्रदेश।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।